

गवां छापाधि जारी दिन १५-८-१३ शाखा नं० ८०८ सं० ६। वातुधारा  
१५३ जारी किया गया तालग्राम परगना तालग्राम तहसील छिकरामक जिल्हा  
परगना राजस्थान वालगढ़ फौसाबंगला फौसाबंगला गुरु सरकार राजस्थान मुख्यमंत्री  
मिस्टर एच.डी.टिवारी द्वारा दिनांक १५-८-१३ की घोषित  
15/8/13

### न्यायालय उपजिलाधिकारी छिकरामक, जनपद कन्नौज

वाद संख्या ६। /2013

रामवेटी बालिका डिग्री कालेज

नाम

राटकार

घारा- 143 त० प्र० ज० विं० आ०

ग्राम- तालग्राम

परगना- तालग्राम

तहसील- छिकरामक

#### निष्ठा

प्रत्युत वाद रामवेटी बालिका डिग्री कालेज निकवा तालग्राम कन्नौज द्वारा  
प्रबन्धक/ सचिव डा० अजयपाल सिंह पुत्र श्री रविनाथ सिंह निवासी सिविल लाइन्स  
फौसाबंगला फौसाबंगला फौसाबंगला के द्वारा प्रार्थनापत्र यथा शपथपत्र सहित प्रत्युत किया गया  
है, कि गाठा संख्या 2882छ रकवा 2.40 एकड़ में से रकवा 1.22 एकड़ यानि 0.4941 है०  
(4941 वर्गमीटर) रिथत याम तालग्राम परगना तालग्राम तहसील छिकरामक जनपद कन्नौज  
संक्रमणीय भूमिघर है। उक्त भूमि पर आवेदक का कब्जा दखल है तथा उक्त आराजी रामवेटी  
बालिका डिग्री कालेज के नाम अंकित है। उक्त भूमि कृषि प्रयोजन में नहीं लाई जा रही है,  
अतः उक्त भूमि को अकृषिक घोषित किया जावे।

उपरोक्त के आधार पर प्रार्थनापत्र की जाँच तहसीलदार छिकरामक से करायी  
गयी। तहसीलदार छिकरामक द्वारा अपनी आख्या दिनांक 12.08.2013 यथा नजरी नक्शा  
संतुति सहित प्रेषित की गयी। आख्यानुसार गाठा संख्या 2882छ रकवा 1.22 एकड़ यानि  
0.4941 है० (4941 वर्गमीटर) रिथत याम तालग्राम परगना तालग्राम तहसील छिकरामक के  
संक्रमणीय भूमिघर दर्ज है। उक्त भूमि पर डिग्री कालेज निकवा तालग्राम के नाम संक्रमणीय  
भूमिघर है। उक्त आराजी पर रामवेटी बालिका डिग्री कालेज नियमिताधीन है तथा मौके पर  
कृषि प्रयोजन में नहीं लाई जा रही है। उक्त भूमि को पारा 143 जगीदारी निनाशा अधिनियम  
के अन्तर्गत अकृषिक भूमि घोषित किये जाने हेतु तहसीलदार छिकरामक द्वारा संतुति की  
गयी है, अतः ऐसी रिथति में प्रश्नगत भूमि को अकृषिक किया जाना चाहित प्रतीत होता है।

#### आदेश

उपरोक्त घोषेवना के आधार पर रामवेटी बालिका डिग्री कालेज निकवा तालग्राम  
कन्नौज द्वारा प्रबन्धक/ सचिव डा० अजयपाल सिंह पुत्र श्री रविनाथ सिंह निवासी सिविल  
लाइन्स फौसाबंगला फौसाबंगला के गाठा संख्या 2882छ रकवा 2.40 एकड़ में से 1.  
22 एकड़ यानि 0.4941 है० (4941 वर्गमीटर) रिथत याम तालग्राम परगना तालग्राम तहसील  
छिकरामक जनपद कन्नौज को कृषि कार्य, मुर्गियालन, बागवानी (जिराके अन्तर्गत मरत्य  
पालन, समन्वय तथा कुकुर यालन भी है) से असम्बद्ध प्रयोजनार्थ प्रयोग करने के कारण  
अकृषिक भूमि घोषित की जाती है। नजरी नक्शा आदेश का अंग होगा। आदेश की एक प्रति  
तहसीलदार छिकरामक को नियमानुसार अग्रिमेलासों में अमलदरायद व एक प्रति उपनिवेशक  
छिकरामक को गोजी जावे। वाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली संचित अग्रिमेलासार की जावे।

गवां कर्ती घोषित  
कर्ती - १५/८/१३

वाद का दिनांक २१/८/२२  
रकवा ६८६५  
दिनांक २४-६-२२

नाम प्रार्थी श्री शाही श्री कुमार

तैयारी का दिनांक २४-६-२२

वितरण का दिनांक २४-६-२२

खमीना २४-६-२२

प्र० क० सकरोना  
उपजिलाधिकारी छिकरामक

सत्य प्रतीलिपि

२४-६-२२

गांगल छाष्पुरि डॉडीश्री डिनो ०३०-५-१९ शाही विवाहसंग ११७५ दृष्टि  
१४३ जुनी का ग्रामपालता तालग्राम १६६६ तहसील रिकामुक्ति लिखवाया  
(रामबद्ध वालेके) दृष्पुरि कालेज एवं साकार व्यापार अपोलिसी व्यापारी प्रौद्योगिकी  
जिला वालेज दाक ०३०-५-१५ वे दृष्टि

## न्यायालय उपजिलाधिकारी छिवरामऊ, जनपद कन्नौज

वाद संख्या D 20150339001174 धारा- 143 उपरोक्तविवेचन

रामबद्ध वालिका डिग्री कालेज

बनाम

सरकार

ग्राम- तालग्राम

परगना- तालग्राम

तहसील- छिवरामऊ

### निष्ठा

प्रत्युत वाद रामबद्ध वालिका डिग्री कालेज निकवा तालग्राम कन्नौज द्वारा प्रबन्धक/सचिव डा० अजयपाल सिंह पुत्र श्री रविनाथ सिंह निवासी सिविल लाइन्स फूसबंगला फतेहगढ़, फर्लस्याबाद के द्वारा प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र सहित प्रत्युत किया गया है, कि गाठा संख्या 2882छ रकवा ०.९७१० है० में से ९.४३ ए० यानी (९४.३७ वर्गमीटर) रिथत ग्राम तालग्राम परगना तालग्राम तहसील छिवरामऊ जनपद कन्नौज संक्रमणीय भूमिघर है। उक्त भूमि पर आवेदक का कब्जा दखल है तथा उक्त आराजी रामबद्ध वालिका डिग्री कालेज के नाम अंकित है। उक्त भूमि कृषि प्रयोजन में नहीं लाई जा रही है। अतः उक्त भूमि को अकृषिक घोषित किया जावे।

उपरोक्त के आधार पर प्रार्थनापत्र की जाँच तहसीलदार छिवरामऊ से करायी गयी। तहसीलदार छिवरामऊ अपनी आख्या दिनांक 25.05.2015 मय नजरी नक्शा संतुति सहित प्रेषित की गयी। आख्यानुसार गाठा संख्या 2882छ रकवा ०.९७१० है० में से रकवा ९.४३ ए० यानी (९४.३७ वर्गमीटर) रिथत ग्राम तालग्राम परगना तालग्राम तहसील छिवरामऊ के संक्रमणीय भूमिघर दर्ज है। उक्त भूमि पर डिग्री कालेज निकवा तालग्राम के नाम संक्रमणीय भूमिघर है। उक्त आराजी पर रामबद्ध वालिका डिग्री कालेज बना है तथा मौके पर कृषि प्रयोजन में नहीं लाई जा रही है। उक्त भूमि को धारा 143 जमीदारी विनाश अधिनियम के अन्तर्गत अकृषिक भूमि घोषित किये जाने हेतु तहसीलदार छिवरामऊ द्वारा संरेतुत की गयी है अतः ऐसी रिथति में प्रश्नगत भूमि को अकृषिक किया जाना उपरित प्रतीत होता है।

### आदेश

उपरोक्त विवेचना के आधार पर रामबद्ध वालिका डिग्री कालेज निकवा तालग्राम कन्नौज द्वारा प्रबन्धक/सचिव डा० अजयपाल सिंह पुत्र श्री रविनाथ सिंह निवासी सिविल लाइन्स फूसबंगला फतेहगढ़ फर्लस्याबाद की गाठा संख्या 2882छ रकवा ०.९७१० है० में ९.४३ ए० यानी (९४.३७ वर्गमीटर) रिथत ग्राम तालग्राम परगना तालग्राम तहसील छिवरामऊ जनपद कन्नौज को कृषि कार्य, मुर्गीपालन, बागवानी (जिसके अन्तर्गत मस्त्य पालन, सम्बर्द्धन तथा कुकुट पालन भी है) से असम्बद्ध प्रयोजनार्थ प्रयोग करने के कारण अकृषिक भूमि घोषित की जाती है। नजरी नक्शा आदेश को अंग होगा। आदेश की एक प्रति तहसीलदार छिवरामऊ को नियमानुसार अभिलेखों में अमलदरामद व एक प्रति उपनिवन्धक छिवरामऊ को भेजी जावे। वाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली संचित अभिलेखालय की जावे।

गांगल वडी विवेचना दृष्टि २२/२२  
मध्यक ६४६५  
दिनांक २८-६-२२  
पात्र श्री २१५ अंतिम



(रामबद्ध वर्मा)  
उपजिलाधिकारी छिवरामऊ

सत्य प्रतीतिलिपि

नव्या शास्त्री आडिग डिन 30/8/22 मध्य प्रकाश नं. ४८८७ नं. ४०३८५  
वावत बाडसंचा. १२०२२०३४००२०४८८७ नं. ४०३८५  
राववलहाटि कुमार चिह्नित अपालमु जिलाधिकारी गोदा न्यायिक  
देहांत घाग्या - वाववलमु उम्मविल्लो बना नीचामु न्यायिक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी (तहसील स्तर) न्यायिक  
मण्डल : कानपुर, जनपद : कन्नाज, तहसील : छिवरामऊ

वाद संख्या : ४८८७/२०२२

कंप्यूटरीकृत वाद संख्या : T202203400204887

अजयपाल सिंह बनाम सरकार

अन्तर्गत धारा:- ८०, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

### निर्णय

आवेदक अजय पाल सिंह पुत्र रविनाथ सिंह यादव निवासी सिविल लाइन फूस बगला, फतेहगढ़ तहसील फरुखाबाद सदर जनपद फरुखाबाद द्वारा प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह याचना की गई है कि स्थित मौजा तालग्राम देहात परगना तालग्राम तहसील छिवरामऊ की खाता संख्या ०२७४९ की गाटा संख्या २८८२४००० / ०.२३८०५० है। प्रार्थी द्वारा उक्त आराजी पर विद्यालय निर्माणाधीन है एवं उक्त आराजी पर किसी भी प्रकार का कृषि कार्य कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन बागवानी आदि कार्य नहीं किया जा रहा है। उक्त भूमि को अकृषित घोषित किया जावे।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर तहसीलदार छिवरामऊ से जॉच करायी गयी। तहसीलदार छिवरामऊ द्वारा अपनी जॉच आख्या दिनांक 24.08.2022 (मय नजरी नक्शा) प्रस्तुत कर यह अवगत कराया गया है कि आवेदक अजय पाल सिंह पुत्र रविनाथ सिंह यादव निवासी सिविल लाइन फूस बगला, फतेहगढ़ तहसील फरुखाबाद सदर जनपद फरुखाबाद का नाम खतौनी सन् १४२६-१४३१ की फसली के खाता सं-०२७४९ की गाटा सं-२८८२४००० / ०.२३८०५० पर बतौर संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। जिसमें आवेदक का ०.२३८०५० हिस्सा है। उक्त भूमि पर आवेदक द्वारा कृषि कार्य नहीं अंकित है। आवेदक अजय पाल सिंह पुत्र रविनाथ सिंह यादव निवासी सिविल लाइन फूस बगला, फतेहगढ़ तहसील फरुखाबाद सदर जनपद फरुखाबाद के द्वारा भवन निर्माण कर व्यावसायिक रूप में प्रयोग में लाया जा रहा है। आवेदक अजय पाल सिंह पुत्र रविनाथ सिंह यादव निवासी सिविल लाइन फूस बगला, फतेहगढ़ तहसील फरुखाबाद सदर जनपद फरुखाबाद के द्वारा भवन निर्माण कर व्यावसायिक रूप में प्रयोग कर रहा है। उक्त भूमि पर आवेदक द्वारा कुक्कुट पालन/मुर्गी पालन का व्यवसाय नहीं किया जा रहा है। उक्त भूमि सुरक्षित भूमि नहीं है तथा ग्राम सभा व धारा-७७ से वाधित नहीं है व सार्वजनिक न्यूसेंस, सार्वजनिक व्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा व सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है तथा महायोजना के अन्तर्गत नहीं है। उक्त भूमि राष्ट्रीय राज मार्ग/अन्य मार्ग हेतु अधिग्रहीत भूमि नहीं है न ही इस भूमि पर कोई मुआवजा लिया गया है। उक्त भूमि की चौहदी पूर्व में खेत आनन्द कुमार आदि, पश्चिम में रामबेटी बालिका डिग्री कालेज, उत्तर में निकवा जल किया मार्ग, दक्षिण में खेत भारत सिंह है। निर्धारित कुल शुल्क ५९५०० रुपये किया जा चुका है। प्रार्थी द्वारा मूल स्टाम्प मु ५९५०० रुपये कुल ज्यूडिशियल स्टाम्प दाखिल किया गया है। उपरोक्त भूमि को अकृषित घोषित किये जाने हेतु तहसीलदार द्वारा संस्तुति की गयी है, अतः ऐसी स्थिति में प्रश्नगत भूमि को अकृषित घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

### आदेश

तहसीलदार छिवरामऊ की उपरोक्त आख्या के आधार पर आवेदक की भूमि स्थित मौजा तालग्राम देहात परगना तालग्राम तहसील छिवरामऊ की खाता संख्या ०२७४९ की गाटा संख्या २८८२४००० / ०.२३८०५० भूमि को कृषि कार्य, मुर्गी पालन व बागवानी (जिसके अन्तर्गत मत्स्य पालन सम्बद्ध तथा कुक्कुट पालन भी है) से असम्बद्ध प्रयोजनार्थ प्रयोग करने के कारण राजस्व संहिता की धारा-८०(१) के अन्तर्गत अकृषित घोषित किया जाता है तथा निर्धारित मालगुजारीं से प्रार्थी को अंशानुसार मुक्त किया जाता है। नजरी नक्शा आदेश का अंग होगा। आदेश की एक प्रति तहसीलदार छिवरामऊ को नियमानुसार अभिलेखों में अमलदरामद हेतु व एक प्रति उपनिवन्धक छिवरामऊ को भेजी जावे। वाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली संचित अभिलेखागार की जावे।

५-१३८

११५

श्री अग्नि दिव्यालय

३१८१२८

३०/४/२२

२०२२१११८

पृष्ठ संख्या:

सत्य - पतिलि



(राकेश कुमार त्यागी)

उप जिलाधिकारी(न्यायिक)

छिवरामऊ

एवं जि. मणिलाल/ठार जिलाधिकारी

मिल्ले १४४ ती. १ अगस्त २२

न्यायिक-००(१)-३

नक्षत्र द्वारा प्राप्ति - भौमिका द्वितीय 26.08.2022 अपनी जनी नवजात हुई है।  
 वाद संख्या 3330002030 द्वारा 80 रुपये द्वारा उपलब्ध करता है। इसका लिखित संकेत निम्नलिखित ग्राहक को देता है। तालग्राम द्वारा उपलब्ध करता है।

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी, छिबरामऊ  
 मण्डल : कानपुर, जनपद : कन्नौज, तहसील : छिबरामऊ  
 वाद संख्या : 2030/2022  
 कंप्यूटरीकृत वाद संख्या : D202203390002030  
 अंजयपाल सिंह बनाम सरकार  
 अंतर्गत धारा : 80, अधिनियम : उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

### निर्णय

आवेदक अंजय पाल सिंह पुत्र रविनाथ सिंह यादव निवासी सिविल लाइन फूस बंगला, फतेहगढ़ तहसील फर्रुखाबाद सदर जनपद फर्रुखाबाद द्वारा प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह याचना की गई है कि स्थित मौजा तालग्राम देहात परगना तालग्राम तहसील छिबरामऊ की खाता संख्या 02836 की गाटा संख्या 2882णमि०/0.2380ह० में से 0.081ह० हिस्सा है। प्रार्थी द्वारा उक्त आराजी पर विद्यालय निर्माणाधीन है एवं उक्त आराजी पर किसी भी प्रकार का कृषि कार्य कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन बागवानी आदि कार्य नहीं किया जा रहा है। उक्त भूमि को अकृषित घोषित किया जावे।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर तहसीलदार छिबरामऊ से जॉच करायी गयी। तहसीलदार छिबरामऊ द्वारा अपनी जॉच आख्या दिनांक 24.08.2022 (भय नजरी नक्शा) प्रस्तुत कर यह अवगत कराया गया है कि आवेदक अंजय पाल सिंह पुत्र रविनाथ सिंह यादव निवासी सिविल लाइन फूस बंगला, फतेहगढ़ तहसील फर्रुखाबाद सदर जनपद फर्रुखाबाद का नाम खतौनी सन् 1426-1431 की फसली के खाता सं०-02836 की गाटा सं०-2882णमि०/0.2380ह० पर बतौर संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। जिसमें आवेदक का 0.081ह० हिस्सा है। उक्त भूमि पर आवेदक द्वारा कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है तथा पूर्ण रूप से भवन निर्माण कर व्यावसायिक रूप में प्रयोग कर रहा है। आवेदक अंजय पाल सिंह पुत्र रविनाथ सिंह यादव निवासी सिविल लाइन फूस बंगला, फतेहगढ़ तहसील फर्रुखाबाद सदर जनपद फर्रुखाबाद के द्वारा भवन निर्माण कर व्यावसायिक रूप में प्रयोग कर रहा है। उक्त भूमि पर आवेदक द्वारा कुक्कुट पालन / मुर्गी पालन का व्यवसाय नहीं किया जा रहा है। उक्त भूमि सुरक्षित भूमि नहीं है तथा ग्राम सभा व धारा-77 से वाधित नहीं है व सार्वजनिक न्यूसेंस, सार्वजनिक व्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा व सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है तथा महायोजना के अन्तर्गत नहीं है। उक्त भूमि राष्ट्रीय राज मार्ग / अन्य मार्ग हेतु अधिग्रहीत भूमि नहीं है न ही इस भूमि पर कोई मुआवजा लिया गया है। उक्त भूमि की चौहदी पूर्व में खेत प्रेमा देवी आदि, पश्चिम में एस०जी०आर० महाविद्यालय, दक्षिण में सड़क जल किया मार्ग, उत्तर में यदुनाथ सिंह आदि है। जिसका निर्धारित कुल शुल्क 2025रु० जमा किया जा चुका है। प्रार्थी द्वारा मूल स्टाम्प मु० 2025रु० कुल ज्यूडिशियल स्टाम्प दाखिल किया गया है। उपरोक्त भूमि को अकृषित घोषित किये जाने हेतु तहसीलदार द्वारा संस्तुति की गयी है, अतः ऐसी स्थिति में प्रश्नगत भूमि को अकृषित घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

### आदेश

तहसीलदार छिबरामऊ की उपरोक्त आख्या के आधार पर आवेदक की भूमि स्थित मौजा तालग्राम देहात परगना तालग्राम तहसील छिबरामऊ की खाता संख्या 02836 की गाटा संख्या 2882णमि०/0.2380ह० में से 0.081ह० हिस्से की भूमि को कृषि कार्य, मुर्गी पालन व बागवानी (जिसके अन्तर्गत मत्स्य पालन सम्बद्ध तथा कुक्कुट पालन भी है) से असम्बद्ध प्रयोजनार्थ प्रयोग करने के कारण राजस्व संहिता की धारा-80(1) के अन्तर्गत अकृषित घोषित किया जाता है तथा निर्धारित मालगुजारी से प्रार्थी को अंशानुसार मुक्त किया जाता है। नजरी नक्शा आदेश का अंग होगा। आदेश की एक प्रति तहसीलदार छिबरामऊ को नियमानुसार अभिलेखों में अमलदरामद हेतु व एक प्रति उपनिवन्धक छिबरामऊ को भेजी जावे। वाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली संचित अभिलेखागार की जावे।

पृष्ठ संख्या :

110

टि. 26/8/2022

सत्र - प्रतिलिपि

मूर्गी का नाम

निवासी पत्र का दिनांक

निवासी का दिनांक

श्री अमिटोप्सिट द्वारा  
 30/8/22

राजिल

(अधिकारी कुमार)

उप जिलाधिकारी

छिबरामऊ

## कार्यालय तहसीलदार छिबरामऊ, जिला कन्नौज

पत्रांक ।२५ / प्रमाणपत्र

दिनांक २७।२२

### स्वामित्व प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि रामबेटी बालिका डिग्री कॉलेज निकवा तालग्राम कन्नौज के नाम ग्राम तालग्राम देहात में गाटा सं० २८८२४ रकवा ०.९७१० हे० में से ०.५०६० है तथा २८८२४ मि० रकवा ०.२३८० कुल भाग व गाटा सं० २८८२४ मि० रकवा ०.२३८० में से ०.०८१० हे० दोनो मिलाकर कुल रकवा ०.८२५० हे० यानी ८२५० वर्गमीटर (२.०४ एकड) भूमि जो रामबेटी बालिका डिग्री कॉलेज समिति निकवा, तालग्राम, कन्नौज के नाम लीजडीड है। जो समिति के पूर्ण स्वामित्व में उक्त गाटा संयुक्त रूप से एक ही स्थान पर है। जो पहुँच मार्ग पर स्थित है।

तहसीदार  
छिबरामऊ

तहसीलदार  
छिबरामऊ (कन्नौज)